अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्या 211/2013

गीता देवी — अपीलार्थी

वनाम

दुर्गी मेहता एवं अन्य — रेस्पाण्डेन्ट्स

–:आदेश:–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी के द्वारा भुमि सुधार उप–समाहर्त्ता, मधेपुरा के आदेश दिनांकः 03.12.2011 ई० अंदर वाद संख्या– 01/11 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के दाखिल किया गया है।

वाद पुकारा गया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया ।

प्रस्तुत अपील को विलम्ब से दाखिल किया गया है परन्तु अपने विलम्ब क्षान्ति का कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया हैं जिस वजह से इस अपील वाद को ग्रहण करना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। ***चूँकि यह वाद hopelessely Time barred है जिसके समर्थन में अपीलार्थी द्वारा कोई ठोस आधार नहीं दिया गया है और न ही इस सन्दर्भ में कोई तथ्यात्मक बहस किया गया है।***

अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम 2009 एवं 2010 में निहित प्रावधानों के तहत वाद कालबाधित है एवं इस न्यायालय में पोषनीय नहीं है। अस्तु अपील वाद नामांकन विन्दु पर अस्वीकृत की जाती है। इसी के साथ अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा